न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी का नामः—नथमल डिडेल, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्याः—19/2021 (14 सिक्योरिटाइजेशन)

बैंक ऑफ इंडिया शाखा—हनुमानगढ़ जरिये प्राधिकृत अधिकारी

——प्रार्थी

बनाम

1. श्रीमती सीमा रानी पत्नी श्री रामप्रताप वर्मा एवं
श्री रामप्रताप वर्मा पुत्र श्री धन्नाराम वर्मा पता—मकान नं. 02/60 ब्लॉक नं. 02, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़—335512।

——ऋणी

2. श्री महेन्द्र पाल पुत्र श्री महावीर प्रसाद पता—सेक्टर नं. 12 हनुमनागढ़ जंक्शन जिला हनुमानगढ़।

——जमानतदार

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रर्वतन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत सहायता हेतु प्रार्थना पत्र।

आदेश

दिनांकः—23.09.2021

प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया शाखा—हनुमानगढ की ओर से श्री रामकुमार बिश्नोई वकील उपस्थित आये जिनको सुना गया। बैंक के वकील ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक ने ऋणी को दिनांक 28.08.2014 को 16,95,000/—(अखरे सोलह लाख पिचानवें हजार रूपये) की ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई थी। ऋणी/जमानतदार द्वारा ऋण की ऐवज में बंधक अचल सम्पत्ति—मकान नं. 02/60, ब्लॉक नं. 02, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ में स्थित है जिसको ऋण अदायगी हेतु गारन्टी के रूप में आवश्यक दस्तावेजों का निष्पादन करके सम्पत्ति पर प्रतिभूति हित से प्रार्थी बैंक के हक में सम्यबंधक किया।

ऋणी द्वारा ऋण और ब्याज को समय पर चुकाने में असफल होने पर ऋणी के खाते को प्रार्थी बैंक द्वारा रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के दिशा—निर्देशानुसार अनर्जक परिसम्पति (NPA) के रूप में दिनांक 30.11.2019 को वर्गीकृत कर दिया गया।

ऋणी का खाता एनपीए होने पर सरफेसी एक्ट—2002 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया द्वारा ऋणी व जमानतदार को दिनांक 18.01.2021 को मांग नोटिस भेज कर 60 दिन में ऋण राशि 15,35,935.47/—(अखरे पन्द्रह लाख पैंतिस हजार नो सौ पेंतिस रूपये एवं सैंतालिस पैसे मात्र) दिनांक 30.11.2019 तक एवं इस दिनांक के बाद का ब्याज व अतिरिक्त खर्चे, लागत इत्यादि मांग की गई। वकील ने यह भी कथन किया कि नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी ऋणी द्वारा सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नहीं करवाई गयी व न ही बंधक शुदा सम्पत्ति का सम्पूर्ण वास्तविक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया।

ऋणी द्वारा ऋण की सम्पूर्ण राशि बैंक को जमा नहीं करवाई है। उक्त एक्ट के प्रावधानो के अनुसार प्रार्थी बैंक उपरोक्त वर्णित रहन शुदा सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने व विक्रय कर शेष देय ऋण राशि वसूल करने का अधिकारी है। उक्त एक्ट की धारा 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक को उक्त बंधक शुदा सम्पति का भौतिक कब्जा पुलिस सहायता से दिलाया जावे ताकि अधिनियम के प्रावधानानुसार सम्पत्ति निलाम कर बकाया ऋण राशि वसूल की जा सके।

बैंक ऑफ इंडिया के वकील के कथनों पर मनन किया और पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। ऋणी व जमानतदार द्वारा बैंक को ऋण राशि का भुगतान करने में असफल रहने व समय पर ऋण राशि मय ब्याज अदा नहीं करने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत ऋणी व जमानतदार को नोटिस जारी किया जाना पाया गया। इसके पश्चात भी ऋणी व जमानतदार द्वारा ऋण राशि की शर्तो के मुताबिक ऋण राशि का भुगतान बैंक को नहीं करने पर The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत शक्तियों के तहत तथा बैंक ऑफ इंडिया के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए प्रार्थी बैंक ऑफ इंडिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी व जमानतदार द्वारा उक्त ऋण सुविधा की एवज में प्रार्थी बैंक के पास बंधक अचल सम्पत्ति–मकान नं. 02/60, ब्लॉक नं. 02, राजस्थान हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन, जिला हनुमानगढ़ में स्थित है, जिसका भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से बैंक ऑफ इंडिया को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को इस अनुरोध के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्राप्ति हेतु प्रार्थी बैंक द्वारा चाहे अनुसार पुलिस सहायता सम्बन्धित पुलिस थाना के माध्यम से नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक, हनुमानगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 23.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़